

- 4- यह कि किरायेदार किरायाधीन स्थल में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ एडिशनल आल्ट्रेशन रूप परिवर्तन नहीं करेगा। किरायेदार का जो भाग किरायेदारी पर दिया जा रहा है व किसी प्रकार का अन्य स्थान पर अतिक्रमण नहीं करेगा। द्वितीय पक्षकार उक्त किरायाधीन स्थान को साफ सुथरा रखेगा तथा जिस स्थिति में मकान को लिया है उसी स्थिति में वापिस करेगा कोई टूट फूट होने या फिटिंग में कोई कमी होने से जो एडवांस राशि है उसमें टूट फूट या फिटिंग की रिपेयर का खर्चा एवं सफाई व्यय काट लिया जावेगा, उसका भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जावेगा।

यह कि किरायेदार किरायेदारी संपत्ति में किसी अन्य पक्षकार को उप किरायेदारी या विक्री/किराये के रूप में नहीं देगा तथा किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य आदि नहीं करेगा जिसके लिये वह स्वयं बाध्य रहेगा यदि उक्त बात पाई जाती है तो प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार द्वारा रखे गये किरायेदार से उक्त मकान रिक्त करा ले और यदि द्वितीय पक्षकार किसी प्रकार से वाद विवाद उत्पन्न करता है तो वह शून्य माना जावेगा।

- 6- यह कि मकान 11 माह के लिये किराये पर दिया जा रहा छः माह के पूर्व किरायेदार मकान को खाली करता है तो पूर्व में एडवांस प्राप्त की गयी राशि किरायेदार को वापस नहीं की जावेगी इसके अतिरिक्त मकान खाली करने से पहले किरायेदार को एक माह पूर्व लिखित या मौखिक सूचना देनी होगी उसी प्रकार मकान मालिक को भी मकान खाली करवाने से पहले एक माह पूर्व लिखित या मौखिक सूचना देनी होगी।

- 7- यह कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को बिना बताये यदि एक माह तक उक्त भवन रिक्त रखता है या किराया आदि समय पर अदा नहीं करता है तो दूसरे माह मकान मालिक दो पंचों के सामने किरायाधीन मकान का ताला खोलकर उक्त मकान का कब्जा प्राप्त कर लेने का अधिकारी होगा जिसमें किरायेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा उक्त भवन रिक्त माना जावेगा एवं प्रथम पक्षकार उक्त अवधि के उपरांत उक्त भवन अन्य व्यक्ति संस्था को किराये पर प्रदान कर देगा।

- 8- यह कि प्रथम पक्षकार तथा द्वितीय पक्षकार दोनों पर मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 2010 के प्रावधान लागू होंगे उसमें दी गयी हिदायतों को दोनों पक्षकार विधिवत रूप से पालन करेंगे। उक्त मकान के संबंध में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद आदि उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण भोपाल न्यायालय में ही होगी। द्वितीय पक्षकार किरायेधीन स्थल पर किसी प्रकार का अनैतिक / अवैधानिक कृत्य नहीं करेगा अगर करते पाया गया तो किरायेधीन भवन तत्काल ही खाली करवाया जावेगा, एवं एडवांस वापस नहीं किया जावेगा।

- 9- यह कि उक्त किरायेदारी स्थान पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आस पड़ोसियों को कोई परेशानी हो यदि आस पड़ोसिया द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत की जाती है तो मकान उसी समय रिक्त करवा लिया जावेगा। उक्त किरायेदारी स्थान का विद्युत व्यय किराये की राशि के अलावा अदा करेगा एवं उक्त स्थान पर विद्युत के मीटर में किसी प्रकार की कोई विद्युत चोरी आदि नहीं करेंगे।